रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99 REGD. No. D. L.-33002/99

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र
सत्यमेव जयते
Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-22072023-247546
SG-DL-E-22072023-247546

असाधारण
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 228]	दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 21, 2023/आषाढ़ 30, 1945	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 159
No. 228]	DELHI, FRIDAY, JULY 21, 2023/ASHADHA 30, 1945	[N. C. T. D. No. 159

भाग IV
PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

शहरी विकास विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 20 जुलाई, 2023

फा. सं. 7(1183)श.वि./विवि./प्रशा./2022/4087.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. जी.एस.आर. 840के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा शहरी विकास विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में **मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)** के पद की भर्ती पद्धतिके संबंध में निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :— (1) इन नियमों को ''**मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)**''भर्ती नियमावली, 2023 कहा जाए।

   (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाषन की तिथि से लागू होंगे।

2. **पदों की संख्या, वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर** :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

3. **भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ इत्यादि** :—उक्त पदों की भर्ती पद्धति, आयु सीमा, योग्यताएँ एवं इससे संबंधित अन्य मामले उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (13) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

4. **अयोग्यता** :—वह व्यक्ति,

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जो एक जीवित पति/पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह की संविदा कर चुका है, वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और ऐसा करने के लिये अन्य आधार हैं, तो वह किसी ऐसे व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकती है।

5. **शिथिल करने की शक्ति** :–जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक एवं समीचीन है, तो वह कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए आदेश द्वारा व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के इन नियमों के किसी उपबंध को छूट दे सकती है।

6. **बचावः**–इन नियमों में सरकार द्वारा इस संबंध में समय–समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडा वर्गों, भूतपूर्व सैनिक अथवा किसी अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये अपेक्षित आरक्षण, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पडेगा।

अनुसूची

शहरी विकास विभाग, रा.रा.क्षे.दि.स. में मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस) के पद हेतु भर्ती नियम

क्र. सं.	विषय		प्रस्तावित भर्ती नियमों के उपबंध
1.	**पदनाम**	:	मल्टी टास्किंग स्टाफ (एमटीएस)
2.	**पदों की संख्या**	:	16* (2023) ' परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर
3.	**वर्गीकरण**	:	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अलिपिकीय
4.	**वेतन मैट्रिक्स में स्तर**	:	वेतन मैट्रिक्स में स्तर–1 (18000-56900/– रुपये)
5.	**क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद**	:	लागू नहीं
6.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए आयु सीमा**	:	18-25*वर्ष के बीच (केन्द्र सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसरण में विभागीय उम्मीदवारों के लिए 40 वर्ष तक शिथिलनीय) टीपः– आयु सीमा निर्धारण हेतु निर्णायक तिथि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड/सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथाविज्ञापित होगी। 'यदि अखिल भारतीय खुली प्रतियोगिता द्वारा पदों की भर्ती होती है, तो आयु सीमा 18.27 वर्ष के बीच होगी।
7.	**सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित शैक्षिक तथा अन्य योग्यता**	:	मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष उत्तीर्ण हो।
8.	**क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।**	:	लागू नहीं
9.	**परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो तो**	:	दो वर्ष
10.	**भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ समावेशन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले पदों का प्रतिशत**	:	सीधी भर्ती द्वारा
11.	**यदि पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति/प्रतिनियुक्ति/समावेशन किया जाना है**	:	लागू नहीं
12.	**यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो, तो इसकी संरचना क्या है?**	:	समूह 'ग' विभागीय स्थायीकरण समिति (स्थायीकरण के विचारार्थ) 1. प्रधान सचिव/सचिव (ऊर्जा) : अध्यक्ष

			2.	विभागाध्यक्ष (शहरी विकास)		सदस्य
			3.	उप–सचिव (वित्त)		सदस्य
			टीप :– यदि समिति का अधिसूचित अध्यक्ष समिति के किसी भी अन्य सदस्य से कनिष्ठ है, तो स्थायीकरण पर विचार करने हेतु विभागीय पदोन्नति समिति का वरिष्ठतम सदस्य अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा।			
13.	**वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।**	:	लागू नहीं			

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,

विकास गोयल, उप–सचिव

URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT
NOTIFICATION

Delhi, the 20th July, 2023

F. No. 7(1183)/UD/Misc./Admn./2022/4087.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with the Government of India, Ministry of Home Affairs Notification number G.S.R.840, dated the 13th July, 1959, the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi is hereby pleased to make the following rules regarding the method of recruitment to the post of **"Multi Tasking Staff (MTS)"** in the Urban Development Department, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short title and commencement – (1) These rules may be called **"Multi Tasking Staff (MTS)"** Recruitment Rules, 2023.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of posts, classification and level in the Pay Matrix: - The number of said posts, its classification and level in the pay Matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.:- The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualifications :- No person, -

i. Who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

ii. Who, having a spouse living has entered into or contracted a marriage with any person;

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personnel law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax -Where the Government is of the opinion that it is necessary expedient so to do, it may by order, and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of this rule with respect of any class or category of persons.

6. Saving - Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-servicemen or any other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

RECRUITMENT RULES FOR THE POST OF MULTITASKING STAFF (MTS)

IN URBAN DEVELOPMENT DEPARTMENT, GOVT. OF NCT OF DELHI

COL. No.	SUBJECT	PROVISION OF THE PROPOSED RECRUITMENT RULES
1.	Name of the post	Multi Tasking Staff (MTS)
2.	Number of Post	16* (2023) *subject to variation dependent on workload
3.	Classification	General Central Service, Group ‘C’, Non Gazetted, Non Ministerial
4.	Level in the Pay Matrix	Level – 1 (Rs.18000-56900) of the Pay Matrix
5.	Whether Selection Post or non selection post	Not applicable
6.	Age limit for Direct Recruits	Between 18-25* Years. (Relaxable for departmental candidate upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government) **Note :** The crucial date for determining the age limit shall be as advertised by DSSSB/Competent Authority. *In case of post being filled by All India Open Competition, the age limit would be between 18 years and 27 years
7.	Educational & other qualification required for Direct Recruits	Matriculation or equivalent pass.
8.	Whether age & educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of Promotees	Not applicable
9.	Period of Probation, if any	Two years
10.	Method of Recruitment whether by Direct Recruitment or by Promotion or by Deputation / Absorption & % of the posts to be filled by various methods	By Direct Recruitment
11.	In case of recruitment by Promotion /Deputation/ Absorption, grades from which Promotion/ Deputation/ Absorption to be made	Not Applicable
12.	If a DPC exists, what is its composition	Group ‘C’ Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) : 1. Principal Secretary/Secretary (Power) : Chairperson 2. Head of the Department(UD) : Member 3. Dy. Secretary (Finance) : Member **Note:** Senior most member of the DPC for considering confirmation shall act as Chairperson in case notified Chairperson of Committee happens to be junior to another member of the Committee.
13.	Circumstances in which UPSC to be consulted in making recruitment	Not Applicable

By Order and in the Name of Lt. Governor of
the National Capital Territory of Delhi,

VIKAS GOYAL, Dy. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA

Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA
Date: 2023.07.22 16:39:01 +05'30'